

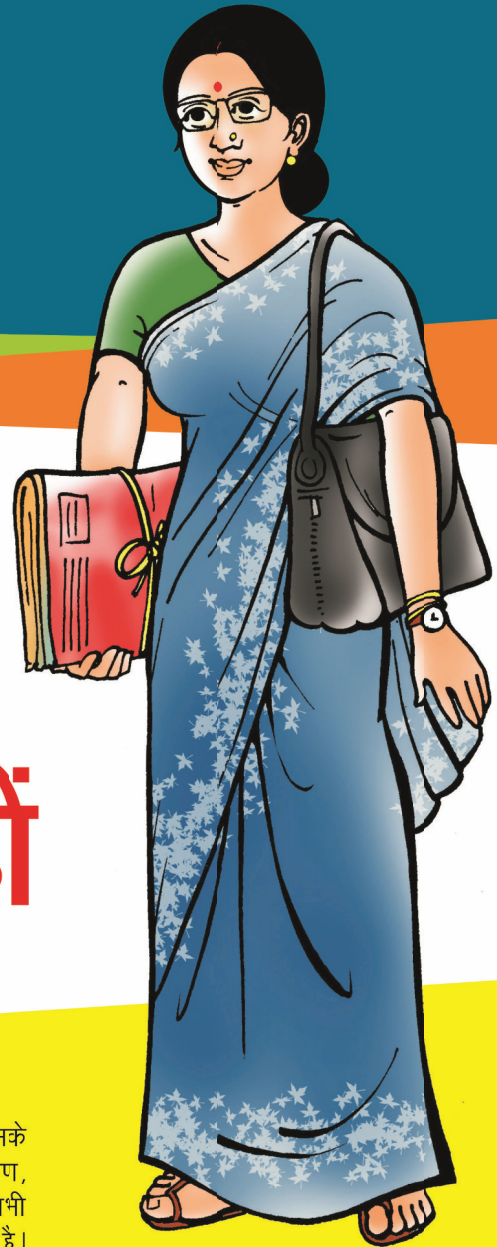


कानून को जानें... चुप्पी तोड़ें

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अब और नहीं

महिला कर्मचारियों के साथ किसी भी प्रकार के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, उसके निषेध एवं निवारण के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा 4(1) के प्रावधानानुसार सभी नियोक्ताओं द्वारा लिखित रूप से 'आंतरिक परिवार समिति' का गठन किया जाना है।

क्या आपके कार्यालय में आंतरिक परिवार समिति का गठन हुआ है?



महिला विकास निगम, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी